राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 336–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–2011 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, भोपाल प्रकरण कमांक 124/निगरानी/2009–10.

1– बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह
निवासी प्रकाश ढाबे के पास
बावड़िया कलां, भोपाल

2– कंवलजीत सिंह पुत्र चनन सिंह
नया पता– जी.वी.के. पावर प्रोजेक्ट गोइन्दवाल साहिब
तहसील खडूर साहैब, जिला तरनतारण, पंजाब
स्थानीय पता– द्वारा श्रीमती गुरूमीत कौर
पत्नी कवलजीत सिंह
भूमि खसरा नं. 382/3/2
ग्राम बावड़िया कलां, तहसील हुजूर
जिला एवं शहर भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन .....आवेदक

श्री रत्नेश शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 30 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, टी.टी. नगर वृत जिला भोपाल के समक्ष उनके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम बावड़िया कलां तहसील हुजूर, जिला भोपाल स्थित सर्वे कमांक 393/5/1 रकबा 0.142 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 393/4 रकबा 0.437 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 07/अ–12/2009–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 28–5–2010 को आदेश पारित कर इस आशय का निकालते हुए कि आवेदक द्वारा सर्वे कमांक 393/4 रकबा 0.437 हेक्टेयर का सीमांकन चाहा गया है, उक्त भूमि सीलिंग में अतिशेष घोषित की गई है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण दर्ज है तथा उसमें यथास्थिति के आदेश दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन नहीं किया जा सकता है, प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 15–12–2011 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान केवल यही कहा गया कि निगरानी मेमों में उल्लिखित आधार ही उनके तर्क हैं । आवेदकगण की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) अपर कलेक्टर द्वारा बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः उक्त आदेश सुस्थापित विधि के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

(2) माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित होने से सीमांकन करने से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिट याचिका लंबित होने से सीमांकन करने में कोई बाधा नहीं है, और न ही सीमांकन किए जाने से यथास्थिति में किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता है ।

(3) मूल खसरा कमांक 393 के 5 बटान किये जाकर खसरा कमांक 393/1 से 393/5 दिए गए हैं । सर्वे कमांक 393/5/1 एवं सर्वे कमांक 393/4 शासन के नाम दर्ज है । इन दोनों शासकीय खसरों के मध्य सर्वे कमांक 393/5/2 स्थित है । जब तक आस–पास की भूमियों का सीमांन नहीं कर दिया जाता, तब तक खसरा कमांक 393/5/2 की भूमि की स्थिति निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर की ओर से सूचना उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाए गए आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा सर्वे कमांक 393/5/1 रकबा 0.142 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 393/4 रकबा 0.437 हेक्टेयर भूमियों का सीमांकन चाहा गया है । सर्वे कमांक 393/4 रकबा 0.437 हेक्टेयर भूमि सीलिंग प्रकरण में अतिशेष घोषित की गई है, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित है, जिसमें यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं । ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा चाही गई भूमियों का सीमांकन किए जाने में निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी, क्योंकि सीमांकन किए जाने से यथास्थिति प्रभावित होगी । अतः तहसीलदार द्वारा प्रकरण समाप्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाया गया यह आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका लंबित होने से सीमांकन किए जाने में कोई बाधा नहीं है, और सीमांकन से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि सीमांकन किए जाने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अवहेलना होगी । दर्शित परिस्थितियों में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर